न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 64/2020/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी

दायरा दिनांकः 07.08.2020

अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट 1956

उनवान

1. किशन गोपाल
2. सूरजमल
3. शंकर पि0 छोटू उर्फ छोटा
4. रामजानकी
5. धापूबाई
6. संतोष बाई पुत्रियां छोटू उर्फ छोटा
7. नन्दु बाई बेवा छोटू उर्फ छोटा जाति माली निवासीगण ग्राम उलेड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी

...अपीलांट

बनाम

1. भंवरलाल आत्मज चतरा उर्फ चतुर्भुज जाति माली निवासी ग्राम उलेड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी
2. बालू आत्मज भूरा जाति माली जरिये का0 मु0
   2/1 गोपाल पुत्र बालू
   2/2 गजानन्द पुत्र बालू
   2/3 रामदेव पुत्र बालू
   2/4 मोहन पुत्र बालू
   2/5 चौथमल पुत्र बालू
   निवासीगण ग्राम उलेड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी
3. छीतर आत्मज मड़ा जाति माली निवासी ग्राम उलेड़ा, तहसील एवं जिला बून्दी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी
5. आवंटन परामर्शदात्री समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, बून्दी

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री विनय कुमार सक्सेना, अभिभाषक–अपीलांट
श्री रामकैलाश नागर, अभिभाषक, रेस्पो0 क्र. 1–3
पेरोकार सरकार – रेस्पो 4–5

::निर्णय::

दिनांक 24.03.2025

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा प्रकरण सं0 226/प्रार्थना–पत्र/18 उनवान भंवरलाल बनाम किशनगोपाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2019 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 क्र0 1 के द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 17 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं नियम 14(4) राजस्थान भू0 आवंटन नियम 1970 पेश किया जाकर आवंटी छोटू आत्मज खुमान को ग्राम उलेड़ा की कृषि भूमि खसरा सं0 745 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा का किया गया आवंटन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन दिनांक 25.06.1981 से आवंटी छोटू आ0 खुमाना निवासी ग्राम उलेड़ा को खसरा सं0 745 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उलेड़ा का किया गया आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 11.06.2019 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 11.06.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.06.2019 कानून एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन कृषि भूमि आवंटन के समय से आवंटी छोटु के कब्जे काश्त में एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान अपीलांट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा अपीलांट्स को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 30 वर्षों के भी अधिक पूर्व हुए आवंटन को निरस्त किये जाने में विधिक त्रुटि की है। पटवारी द्वारा बिना किसी आधार के मौका रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। पक्षकारों के मध्य उक्त भूमि बाबत् एक वाद सक्षम न्यायालय में वर्ष 2004 से आज तक विचाराधीन है तथा रेस्पो0 क्र.1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा 30 वर्षों के विलम्ब से आवेदन पेश करने को कोई आधार अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया। अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त है, जो जमाबंदी से पूर्णतया प्रमाणित था तथा बैंक के द्वारा ऋण भी इस आधार पर स्वीकृत किया गया। इतने लम्बे समय के पश्चात् आवंटन निरस्त किया जाना न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.06.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में आवंटन बहाल रखा जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का कब्जा नहीं होने तथा मात्र प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त है तथा बैंक के द्वारा ऋण भी इस आधार पर स्वीकृत किया गया। रेस्पो0 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 30 वर्ष पश्चात् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। इतने लम्बे समय के पश्चात् आवंटन निरस्त किया जाना न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.06.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में आवंटन बहाल रखा जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत AIR 1994 SC Page 1128, 2016(4) RLW Raj. HC Page 3181, 2020 DNJ [Rev.] Page 416 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 10.01.2008 पेश किये।

5. रेस्पो0 अभिभाषक के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन दिनांक 25.06.1981 से आवंटी छोटू आ0 खुमाना निवासी ग्राम उलेड़ा को खसरा सं0 745 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उलेड़ा का किया गया आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 11.06.2019 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अपीलांट द्वारा अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 क्र0 1 के द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 17 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं नियम 14(4) राजस्थान भू0 आवंटन नियम 1970 पेश किया जाकर आवंटी छोटू आत्मज खुमान को ग्राम उलेड़ा की कृषि भूमि खसरा सं0 745 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा का किया गया आवंटन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन दिनांक 25.06.1981 से आवंटी छोटू आ0 खुमाना निवासी ग्राम उलेड़ा को खसरा सं0 745 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उलेड़ा का किया गया आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 11.06.2019 पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का कब्जा नहीं होने तथा मात्र प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार मानकर निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा काश्त है तथा बैंक के द्वारा ऋण भी इस आधार पर स्वीकृत किया गया। रेस्पो0 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 30 वर्ष पश्चात् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। इतने लम्बे समय के पश्चात् आवंटन निरस्त किया जाना न्याय के विरूद्ध है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट होता है कि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपीलांट्स के द्वारा दिनांक 11.03.2022 को राजीनामा पेश किये जाने के उपरांत आदेशिका दिनांक 12.07.2022 अनुसार पक्षकारान के उपस्थित नहीं होने से उक्त राजीनामा तस्दीक नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, बून्दी की रिपोर्ट दि0 2.11.2017 एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.9.2017 अनुसार वर्णित किया गया कि आवंटित भूमि खसरा सं0 745 रकबा 5.09 बीघा पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर बालू पिता भूरा, छीतर पिता मडा व भंवरलाल पुत्र चतरा उर्फ चर्तुभुज निवासी उलेड़ा का कब्जा काश्त होने से आवंटन निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 02.11.2017 एवं मौका रिपोर्ट 19.09.

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2017 हल्का पटवारी, ग्रावासियान एवं सरपंच, ग्राम पंचायत उलेड़ा से आवंटित भूमि में से उक्त खसरा सं0 745 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा पर आवंटी व आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन नियमों की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित मानते हुए निर्णय दिनांक 11.06.2019 से प्रश्नगत आराजी से आवंटी का आवंटन निरस्त कर सिवायचक दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोनार्थ आवंटन) नियम, 1970 अन्तर्गत सशर्त आवंटन किया गया था, किंतु अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवंटन दिनांक 25.06.1981 को निर्णय दिनांक 11.06.2019 से निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा प्रकरण सं0 226/प्रार्थना–पत्र/18 उनवान भंवरलाल बनाम किशनगोपाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2019 में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती हैं। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा